

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(254)वित्त-1(1)आ.व्यय/2012/

जयपुर, दिनांक: 25.03.19

संबंधित कौषाधिकारी,
राजस्थान।

(स्वीकृति संख्या- 1166 /2013-14)

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 में पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 184(2)परावि/ले.ब./वै.प./अनु आवंटन/2013-14/1736 दिनांक 19.03.2014 के साथ (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 59/2013-14) संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 400.00 लाख (अक्षरें रु. चार करोड़) मात्र निम्न बजट मद से प्रभाव करते हुए संबंधित पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके समुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे।

-व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

मांग संख्या 41

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की मंत्रालयों को-सहायता
(09)-तदर्थ सहायता

[01]-हैण्डपम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स के लिए अनुदान (संस्थापन)

92-सहायतार्थ अनुदान (संवैतन)

(आयोजना भिन्न)

(राशि लाख रु. में)

400.00

(संलग्न सारणी अनुसार)

कुल योग:- 400.00 लाख

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाचर्स में संबंधित पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के पालन का दायित्व प्रशासनिक विभाग/सम्बन्धित विभाग का होगा तथा आवश्यकता होने पर निर्वाचन विभाग से अनुमति प्रशासनिक विभाग/सम्बन्धित विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी।

भवदीय

(एम.एल. आचार्य)

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बन्धित।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बन्धित।
6. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (संयुक्त निदेशक) (कंप्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
7. लेखाकार, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(254)वित्त-1(1)आ.व्यय/2012/

जयपुर, दिनांक: 25.03.14

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान।

(स्वीकृति संख्या- 886 /2013-14)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 184(2)पराधि/ले.ब./है.प./अनु. आवंटन/2013-14/1738 दिनांक 19.03.2014 के साथ (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 69/2013-14) संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 400.00 लाख (अक्षरे रु. चार करोड़) मात्र निम्न बजट मद से प्रमायं करते हुए संबंधित पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे।

-:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

मांग संख्या 41

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

(राशि लाख रु. में)

197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता

(09)-तदर्थ सहायता

[01]-हैण्डपम्प मिस्रित्रयों एवं फिटर्स के लिए अनुदान (संस्थापन)

92-सहायतार्थ अनुदान (संवैतन)

400.00

(आयोजना भिन्न)

(संलग्न सारणी अनुसार)

कुल योग- 400.00 लाख

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के पालन का दायित्व प्रशासनिक विभाग/सम्बन्धित विभाग का होगा तथा आवश्यकता होने पर निर्वाचन विभाग से अनुमति प्रशासनिक विभाग/सम्बन्धित विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी।

भवदीय

— Sd —

(एम.एल. आचार्य)

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बन्धित।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बन्धित।
6. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (संयुक्त निदेशक) (कंप्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
7. लेखाकार, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

(Handwritten Signature)

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)